2024/6

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

इन्दर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट   मु0न0 08 / 2024

पीठासीन अधिकारी डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.02.2024	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत खाता सख्या 59 की भूमि का रहन का अकित नोट शुद्ध करवाने बाबत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम उदलवाडा तह0 बहरावण्डा की भूमि खाता सख्या 59 पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नही है जबकि खाते मे बधक बैक का नोट अकित है जो गलत है। प्रार्थी के बाबा ने यूनियन बैक से ही ऋण लिया था जिसका भुगतान भी किया जा चुका है। इसलिए उक्त भूमि मे से नोट को शुद्ध किया जावे। प्रश्नगत भूमि के सबध मे तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा भी पत्राक भू0अ0 / 2024 / 156 दिनाक 31.01.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बहरावण्डा प्रार्थी इन्दरसिंह पुत्र रामधन गुर्जर निवासी उदलवाडा द्वारा दिनाक 15.12.2023 को ग्राम उदलवाडा मे जमाबदी के तत्कालीन खाता सख्या 59 मे बैक रहन का अकित नोट शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त आवेदन मे पटवारी हल्का से जाच प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम उदलवाडा मे साबिक खाता सख्या 59 मे खातेदार गगासहाय पुत्र गोरधन जाति गुर्जर के नाम जमाबदी सवत 2037–41 मे नामान्तकरण सख्या 223 दिनाक 28.05.1986 से यूनियन बैक ऑफ गण्डरावा के नाम मूर्तहीन रहन दर्ज किया गया था उसके बाद सवत 2043–46 जमाबदी मे भी यूनियन बैक ऑफ गण्डरावा के ही नाम रहन दर्ज था किन्तु जमाबदी सवत 2047–50 मे सहवन से यूनियन बैक ऑफ गण्डरावा के स्थान पर बधक बैक गण्डरावा दर्ज हो गया जो आदिनाक तक चल रहा है जबकि ग्राम गण्डरावा मे बधक बैक नाम से कोई बैक सचालित नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा यूनियन बैक से ऋण लेने से यूनियन बैक के नाम भूमि रहन दर्ज की गई थी। जिसका ऋण प्रार्थी द्वारा जमा करवा दिया गया है एव बधक बैक गण्डरावा मे स्थित नही है एव तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उदलवाडा की भूमि खाता सख्या 59 मे बधक बैक शाखा गण्डरावा के नाम से दर्ज रहन को हटाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	